तैयारी करें और वोट डालें। यह उतना ही आसान है जितना कि 1 2 3 कहना।

यह साल चुनाव का साल है - जिसमें आपको इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है कि देश का संचालन कौन करेगा और भविष्य में संसद का चुनाव करने के लिए हम किस प्रकार की मतदान प्रणाली का प्रयोग करेंगे। वोट डालना आसान है। इन तीन कदमों का पालन करें।

वोट डालने के लिए तुरन्त अपना नाम लिखाएं

आपके लिए नाम लिखवाना बहुत जरूरी है अगर आपः

- न्यूज़ीलैंड के नागरिक या स्थायी निवासी हैं, और
- 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं, तथा
- न्यूज़ीलैंड में कम से कम एक साल से लगातार रह रहे हैं।

नाम लिखाना आसान है।
केवल नामांकन फार्म को भर दें।
आप इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त कर सकते हैंः

- अपने नाम और पते को 3676 पर निःशुल्क टैक्स्ट करके
- www.elections.org.nz या www.ivotenz.org.nz वेबसाइट पर जाकर
- 0800 36 76 56 नम्बर पर निःशुल्क फोन करके
- किसी भी पोस्टशॉप में जाकर

इसे अन्तिम समय तक मत छोड़ें।
तुरन्त नाम लिखवाएं और चुनाव वाले दिन इससे वोट डालने में आसानी होगी।

आप अगर मकान बदलते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने नामांकन के ब्यौरे को अद्यतन (अपडेट) करा दें।

नाम लिखाना आसान है

**वोट डालने के लिए जाते समय अपने ईज़ीवोट कार्ड को साथ लेकर जाएं।
इससे वोट डालने में आसानी होगी।**

आप यदि समय पर अपना नाम लिखवाते हैं तो एक ईज़ीवोट कार्ड तथा जानकारी पैक आपको डाक द्वारा प्राप्त होगा (चुनाव वाले दिन से एक महीना पहले तक)।

यदि आपके पास ईज़ीवोट कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं।

चुनाव वाले दिन, आपके नज़दीक ही एक मतदान क्षेत्र होगा।

यदि आप चुनाव वाले दिन अपने निर्वाचन-क्षेत्र के किसी भी मतदान-क्षेत्र पर नहीं जा पाते, तो आप अग्रिम रूप से (इन एडवान्स) वोट डाल सकते हैं।

आवश्यकता होने पर चुनाव कर्मचारी आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे या आप चाहें तो अपने साथ किसी मित्र या सम्बन्धी को ले जा सकते हैं।

वोट डालते समय

इस साल चुनाव के साथ-साथ ही हमारी वोट डालने की प्रणाली के बारे में एक जनमत-संग्रह (रिफरेंडम) होगा।

आप जब वोट डालेंगे तो आपको दो मतदानपत्र मिलेंगे,

1. **पार्टी के लिए और पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय व्यक्ति के लिए वोट डालने के लिए -** आपका संतरी रंग का आम चुनाव मतदानपत्र
2. **भविष्य में अपनी संसद का चुनाव करने की मतदान प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए -** आपका बैंगनी (परपल) रंग का जनमत-संग्रह (रिफरेंडम) मतदानपत्र। आपसे पूछा जाएगाः
   - कि आप एमएमपी को जारी रखना चाहते हैं या वोट डालने की किसी अन्य प्रणाली में बदलना चाहते हैं, तथा
   - अगर न्यूज़ीलैंड एमएमपी से बदलने का फैसला कर लेता है तो अन्य चार मतदान प्रणालियों में से आप किसे पसंद करेंगे।

अधिक जानकारी चाहिए? • 0800 36 76 56 निःशुल्क फोन • www.elections.org.nz • www.ivotenz.org.nz

इस बात का प्रचार करें। अपने मित्रों तथा परिवारजनों को इस बारे में बताएं कि नामांकन कराना और वोट डालना कितना आसान है।
अन्य भाषाओं में वोट डालने तथा नाम लिखवाने से सम्बन्धित जानकारी के लिए **www.elections.org.nz** वेबसाइट पर जाएं।

ELECTIONS
ELECTORAL COMMISSION
Te Kaitiaki Take Kōwhiri

E123 – Hindi